

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 1627 / FP/UK/WATER/42351/2019 देहरादून: दिनांक: 06 जनवरी, 2020

सेवा में,

सचिव,

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-देहरादून के विकासखण्ड जाडी से चकराता पाईप लाईन के निर्माण हेतु 0.0744 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु कमाण्डेट- 22, चकराता, को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

(Online Proposal No- FP/UK/WATER/42351/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु कमाण्डेट- 22, चकराता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.0744 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग, चकराता एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Sanctuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के परस्तर 4.3 में दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डी०जे०के० शर्मा) 6/1/20

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/WATER/42351/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद-देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
7. कमाण्डेट- 22, चकराता, उत्तराखण्ड।

(डी०जे०के० शर्मा) 6/1/20

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद-देहरादून के विकासखण्ड जाडी से चकराता पाईप लाईन के निर्माण हेतु 0.0744 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु कमाण्डेट- 22, चकराता, को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

(Online Proposal No- FP/UK/WATER/42351/2019)

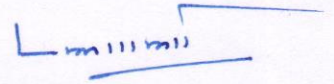
जनपद-देहरादून के विकासखण्ड जाडी से चकराता पाईप लाईन के निर्माण हेतु 0.0744 हे० वन भूमि का कमाण्डेट-22 को 30 वर्षों पर दिये जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 0.0744 हे० आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद-देहरादून/प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग, चकराता एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून के द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Sanctuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के परस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकार, स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

नाम व पदनाम:

हस्ताक्षर:



(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहर:

(D. J. K. Sharma)
APCCF & NODAL OFFICER (FC)
(UTTARAKHAND, DEHRADUN)

तिथि : 06/01/2020

स्थान : देहरादून